भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 643
बुधवार, 26 जुलाई 2023 (श्रावण 4,1945(शक)) को उत्तरार्थ

देश की प्रमुख सहकारी समितियों को संगठित करने की योजना

643 # **श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभाः**
क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या देश की प्रमुख सहकारी समितियों को संगठित करने और उनके माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य हेतु निर्दिष्ट की गई देश की तीन प्रमुख सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात के अलावा सहकारी समितियों को निर्दिष्ट कर इन्हें किन अन्य विषयों पर प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री

(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सरकार ने जैविक उत्पाद, बीजों और निर्यात; प्रत्येक के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियां स्थापित करने का अनुमोदन दिया है । इन समितियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत किया गया है । सभी स्तरों की सहकारी समितियां जो उपर्युक्त प्रत्येक समिति के लिए निर्दिष्ट कार्यकलापों में रुचि रखती हैं, इसके सदस्य बनने के पात्र हैं । इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (NCEL) : NCEL का प्रोत्साहन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा किया जा रहा है । NCEL का मुख्य प्रोत्साहक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है । NCEL की आरंभिक चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए तथा पांचों प्रवर्तकों में से प्रत्येक द्वारा 100 करोड़ रुपये अंशदान के साथ प्राधिकृत शेयर पूंजी 2000 करोड़ रुपए होगी । NCEL, सहकारी समितियों और संबंधित संस्थानों के माल व सेवाओं का प्रत्यक्ष निर्यात तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप करेगी । NCEL सहकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित अधिशेष माल व सेवाओं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेगी जिससे 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा तथा परिणामस्वरूप आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति होगी । NCEL के माध्यम निर्यात में वृद्धि होने से सहकारी समितियों के बीच विभिन्न स्तरों पर माल व सेवाओं के लिंकेजों मे बढ़ोत्तरी होगी जिसके फलस्वरूप सहकारी क्षेत्र में अधिक रोजगार का सृजन होगा ।

2. राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL): NCOL का प्रोत्साहन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा किया जा रहा है । NCOL का मुख्य प्रोत्साहक राष्ट्रीय डेयरी

विकास बोर्ड है । NCOL की आरंभिक चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए तथा पांचों प्रवर्तकों में से प्रत्येक द्वारा 20 करोड़ रुपये योगदान के साथ प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी । NCOL जैविक उत्पादों के एकत्रण, प्रमाणन, परीक्षण, प्रापण, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रैंडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सेवाओं, विपणन के लिए संस्थागत सहयोग प्रदान करेगी और PACS/FPOs सहित अपने सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था में सहायता प्रदान करेगी तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की मदद से जैविक उत्पादों के संवर्धन व विकास संबंधी कार्यकलाप करेगी । सभी स्तरों पर सहकारी समितियों द्वारा जैविक उत्पादों के उत्पादन वृद्धि के लिए NCOL प्रामाणिक और प्रमाणित जैविक उत्पादों के विपणन में मदद करेगी ।

3. भारतीय बीज सहकारी समिति लि. (BBSSL): BBSSL का प्रोत्साहन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा किया जा रहा है । BBSSL का मुख्य प्रोत्साहक कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है। BBSSL की आरंभिक चुकता पूंजी 250 करोड़ रुपए तथा पांचों प्रवर्तकों में से प्रत्येक द्वारा 50 करोड़ रुपये योगदान के साथ अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी । फसल पैदावार बढ़ाने के लिए BBSSL सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड के तहत उन्नत बीजों का उत्पादन, खरीद और वितरण तथा देशज प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करेगी जिसके फलस्वरूप BBSSL, सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में उन्नत बीजों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी जिससे आयातित बीजों पर निर्भरता में कमी आएगी, कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा और परिणामस्वरूप आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति होगी । BBSSL के माध्यम से उन्नत बीजों के उत्पादन से देश में कृषि उत्पादन में वद्धि होगी जिसके फलस्वरूप कृषि व सहकारी क्षेत्र में अधिक रोज़गार का सृजन होगा ।

(ग) 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उपर्युक्त के साथ निम्नलिखित 48 नई पहलें की हैं:

क. प्राथमिक सहकारी समितियों को पारदर्शी और आर्थिक रूप से जीवंत बनाना (14 पहलें)

1. **<u>पैक्सों को बहु-उद्देशीय, बहु-आयामी और पारदर्शी संस्थान बनाने के लिए आदर्श उपविधियां</u>**: पैक्स को 25 से अधिक व्यवसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम बनाने हेतु आदर्श उपविधियों तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य सहकारिता अधिनियम के अनुसार अपनाने हेतु परिचालित की गईं । आदर्श उपविधियां को 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है।
2. **<u>कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सशक्तिकरण:</u>** 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 पैक्सों को एक ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया चल रही है।
3. **<u>कवर न हुई पंचायतों में नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां</u>**: आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करते हुए 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियां गठित करने की एक योजना अनुमोदित की गई है।
4. **<u>खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना</u>**: पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदामों और अन्य कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।
5. **<u>ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच हेतु कॉमन सेवा केन्द्र (CSCs) के रूप में पैक्स</u>**: 17,000 से अधिक पैक्सों को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने, ई-सेवाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में आनबोर्ड किया गया।

6. **<u>पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन</u>**: ऐसे प्रखंडों में जहां किसान उत्पादक संघों का गठन नहीं हुआ है या ऐसे प्रखंड जो किसी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, में 1,100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संघों का गठन किया जाएगा ।

7. **<u>पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आवंटन में प्राथमिकता:</u>** पैक्स को खुदरा पेट्रोल/ डीज़ल आउटलेटों के आवंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC2) में शामिल किया गया है । थोक पेट्रोल पम्प लाइसेंस वाले मौजूदा पैक्सों को खुदरा आउटलेटों में परिवर्तित होने की अनुमति दी गई है।

8. **<u>अपने कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप</u>**: पैक्सों को अब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

9. **<u>ग्रामीण स्तर पर जेनरिक दवाइयों की सुगम पहुंच के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स</u>**: पैक्सों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है जिससे उन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा।

10. **<u>उर्वरक वितरण हेतु प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) के रूप में पैक्स</u>:** देश में किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्सों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) चलाने के लिए अनुमति दी गई है।

11. **<u>ऊर्जा सुरक्षा हेतु पैक्स स्तर पर PM-KUSUM योजना का अभिसरण</u>**: पैक्स से जुड़े किसान सौर-कृषि जल पंप के उपयोग को अपना कर अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं ।

12. **<u>पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जल आपूर्ति (PWS) के लिए प्रचालन व रखरखाव (O&M) का कार्य किया जाना</u>:** पैक्सों को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण नल जल आपूर्ति (PWS) के लिए प्रचालन और रखरखाव कार्य की अनुमति दी गई है ।

13. **<u>डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो-ATMs से बैंक मित्र सहकारी समितियां</u>**: सहकारी बैंकों द्वारा माइक्रो-ATMs अब सहकारी समितियों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, पैक्सों को दिए जा रहे हैं ।

14. **<u>दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड</u>**: तुलनात्मक रूप से निम्न ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ख. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तीकरण (9 पहलें)

15. शहरी सहकारी बैंकों को अपने कारोबार में विस्तार के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है।

16. शहरी सहकारी बैंकों को आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं देने की अनुमति दी गई है ।

17. शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों के वन-टाइम निपटान की अनुमति दी गई है ।

18. शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए प्राथमिक सेक्टर ऋण (PSL) लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा बढ़ाई गई ।

19. शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित इंटरएक्शन हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति ।

20. ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दुगुनी से अधिक की गई ।

21. ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा अब वाणिज्यिक रीयल एस्टेट/रिहाइशी आवासन सेक्टर को ऋण दिए जा सकेंगे, जिससे उनके कारोबार का विविधीकरण होगा ।

22. 'आधार समर्थित भुगतान प्रणाली' (AePS) में सहकारी बैंकों को ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है ।

23. ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए CGTMSE योजना में सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अधिसूचित किया गया ।

ग. आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत (6 पहलें)

24. ऐसी सहकारी समितियां जिनकी आय 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है, के अधिभार को 12% से घटाकर 7% किया गया ।

25. सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर-दर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया ।

26. सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत एक स्पष्टीकरण जारी किया गया ।

27. 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों की मौजूदा 30% की कर-दर एवं अधिशेष को कम करके 15% लिया जाएगा।

28. पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंको (PCARDBs) द्वारा नकद में जमा व ऋण की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया ।

29. सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) किए बिना, नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया ।

घ. सहकारी चीनी मिलों को पुन:सक्रिय करना (4 पहलें)

30. **<u>सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत</u>**: सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य के सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

31. **<u>सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान</u>**: मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व की अवधि के लिए सहकारी समितियों को गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी ।

32. **<u>सहकारी चीनी मिलों के सशक्तीकरण के लिए एनसीडीसी द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का शुभारंभ</u>**: इस योजना का उपयोग एथनॉल संयंत्र स्थापित करने या कोजेनरेशन संयंत्र लगाने या कार्यशील पूंजी के लिए अथवा तीनो कार्यों के लिए किया जा सकेगा ।

33. **<u>सहकारी चीनी मिलों को एथनॉल की खरीद में प्राथमिकता</u>**: एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के तहत भारत सरकार द्वारा एथनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा जाएगा ।

ङ. राष्ट्रीय स्तर पर तीन नयी बहुराज्य समितियाँ (3 पहलें)

34. **<u>प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति</u>**: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना

की गई है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगी ।

35. **जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी ऑर्गेनिक समिति**: प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी ऑर्गेनिक सोसाइटी की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गई है ।

36. **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति**: सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गयी ।

च. सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण (3 पहलें)

37. **विश्व के सबसे बड़े सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना:** सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षित जन शक्ति की सतत और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है ।

38. **सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नई योजना**: सहकारी आंदोलन को सशक्त करने, VAMNICOM, NCCT और JCTC की फैकल्टी का क्षमता निर्माण, सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना, इत्यादि।

39. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता संवर्द्धन:** एनसीसीटी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और लगभग 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया ।

छ. 'सुगम व्यवसाय' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग (2 पहलें)

40. **केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए कम्प्यूटरीकरण:** इससे बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल परितंत्र तैयार होगा जिससे आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध ढंग से कार्य किया जा सकेगा ।

41. **राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों (RCSs) के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की योजना**: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि एवं पारदर्शी कागज-रहित कार्यप्रणाली के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण ।

ज. अन्य पहलें (7 पहलें)

42. **प्रमाणित और अद्यतित डाटा भंडार के लिए नयी राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस:** हितधारकों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सुविधा के लिए देश में सहकारी समितियों का एक डाटाबेस तैयार करना ।

43. **नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण:** 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना की प्राप्ति के लिए एक समर्थकारी परितंत्र के सृजन हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने के लिए देश भर के 49 विशेषज्ञों और हितधारकों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई ।

44. **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022:** बहुराज्य सहकारी समितियों में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने, शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक पुर:स्थापित किया गया ।

45. **<u>जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में शामिल करना</u>**: सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे वे किफायती व अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 40 लाख विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे ।

46. **<u>कार्यक्षेत्र व पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार:</u>** एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मत्स्य पालन के लिए 'नील सहकार ' की नई योजनाएं आरंभ की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी ने 41,024 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया।

47. **<u>कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण:</u>** दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सशक्त बनाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना शुरू की जा रही है ।

48. **<u>सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड:</u>** सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को उनकी समुचित पहचान और उनकी जमाराशियों एवं दावों के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर पारदर्शी ढंग से भुगतान के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ।

******